*1[भाग 2*

## 2[ समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन नियम,

3[407 किसी सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह नयी प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार कराये। समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार माह पूर्व उस जिले के जिसमें समिति का रजिस्ट्रकृत मुख्यालय स्थित है, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 को अथवा उस अधिकारी को, जिसे समितियों के किसी वर्ग या वर्गो के लिए निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, लिखित रूप से समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक की सूचना देगा और निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण के लिए अनुरोध करेगा; प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों के मामले में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों या प्राधिकृत व्यक्ति निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के पूर्व नियम 440 मे विहित रीति से निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करेगा। प्रारम्भिक समितियों से भिन्न समितियों के मामले में निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण मण्डल के संयुक्त निबन्धक या उपनिबन्धक, सहकारी समितियों अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा,

जिनके कार्यक्षेत्र में समिति का मुख्यालय स्थित है, किया जायेगा।

4[408. निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण के लिए समिति का सचिव अथवा, यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनाएं अथवा तथ्य, जिनकी अपेक्षा जिला सहायक निबन्धक, अथवा मण्डल के संयुक्त निबन्धक या उपनिबन्धक, सहकारी समितियां अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाये, उपलब्ध करायेगा।

5[409. समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, समय-समय पर निबन्धक द्वारा दिये गये निदेशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिनके नामो के सम्मुख अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों मंे वर्णित कोई अनर्हता, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और इस सूची में निर्वाचन के दिनांक के 45 दिन पूर्व सम्यक, रूप से नामावलिगत साधारण या सहानुभूतिकर सदस्य भी सम्मिलित किये जायेंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि जिन समितियों के सामान्य निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यों एवं समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा अथवा केवल समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची नियम 89 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गयी मतदाता सूची अन्तिम मतदाता सूची कहलायेगी जिस पर सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध कमेटी के सभापति के हस्ताक्षर और मुहर होंगे।

6[410. नियम 409 के अनुसार तैयार की गई अन्तिम मतदाता सूची

निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित किया जायें, प्रदर्शित की जायेगी।]

---

1. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-97-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।
2. अधिसूचना सं0 3849/49-1-98-7(11)-97 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं0 3849/49-1-98-7(11)-97 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं0 3849/49-1-98-7(11)-97 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं0 3849/49-1-98-7(11)-97 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-97-7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

**411.** वार्षिक सामान्य बैठक की अध्यक्षता सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति करेगा। सभापति तथा उप सभापति दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सामान्य निकाय के किसी अन्य

सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते है।

**412.** गणपूर्ति न होने पर या उपविधियों में व्यवस्थित किसी अन्य कारण से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल्य बैठक की नोटिस की कार्य सूची में दिये गये समय तथा स्थान पर 16 वें दिन (जिसकी गणना स्थगतन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायेगी) को होगी और कार्य सूची में केवल उन्हीं मदों को लिया जायेगा जो मूल बैठक में भी होने से शेष रह गये हों।

1[**413.** जिला सहायक निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी जिले के जिला मजिस्ट्रेट को समितियों की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के एक सौ बीस दिन पूर्व उन समितियों की सूची उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित समिति में निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध करेगा।

2[**414.** उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ पर समिति का मुख्यालय हो, जिला सहायक निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन के लिए दिनांक पर प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उप सभापति एंव अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने के लिये किसी सरकार सेवक को (ऐसे विभाग के अधिकारी से भिन्न अधिकारी जो सम्बद्ध समिति के पर्यवेक्षण व प्रशासन से सम्बद्ध हो) निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य  होगा कि वह अधिनियम, इस नियमावली एवं समिति की

उप विधियों में निर्धारित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये और उसका संचालन करें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्वाचन और उसके परिणाम की घोषणा, बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व कराया जायेगा ताकि कार्यकाल समाप्ति के तत्काल बाद नव निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी का स्थान ग्रहण कर ले। निर्वाचन अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन कराने के लिये आवश्यक हो। अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन और अकाट्य कारणों से जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के दौरान बदल सकता है। ऐसे मामले में वह व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी हो, निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन करायेगा।]

**415.** प्रबन्ध कमेटी तथा सम्बद्ध सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिए बाध्य होंगे और सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपेक्षा करें।

**3[416.** (क) इस नियमावली की प्रबन्ध कमेटी, उसका सचिव और प्रत्येक अधिकारी निर्वाचन अधिकारी और मतदान अधिकारी को उनके कत्र्तव्यों का पालन करने में ऐसी सहायता और ऐसी सूचना देगा जिसकी सूचना देगा जिसकी उसे इस प्रयोजन के लिये आवश्यकता हो।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति उस विभाग का नही होगा जो सम्बद्ध समिति प्रशासन और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित हो।
(ख) सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध कमेटी, उसका सचिव और प्रत्येक अधिकारी निर्वाचन अधिकारी और मतदान अधिकारी को उनके कत्र्तव्यो का पालन करने मे ऐसी सहायता और ऐसी सूचना देगा जिसकी सूचना देगा जिसकी उसे इस प्रयोजन के आवश्यकता हो।]

4[417. यदि किसी अभ्यर्थी की जिसका नामांकन नियम 441 एवं 444 ख के अधीन विधि मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और निबन्धक को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामाकंन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगे, किन्तु उस व्यक्ति के लिए जो मतदान के प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी या कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था वह ऐसे प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् नामांकन दाखिल करने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे

प्रत्यादिष्टि के पश्चात् उस दिनांक को होगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाये।

---

1. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

2. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

3. नियम 416, 417, 418 अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

4. नियम 416, 417, 418 अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

1[418. यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाये या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य तर्कपूर्ण कारण से किसी स्थान पर निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिये नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला मजिस्ट्रेट और निबन्धक को दी जायेगी जिस पर निबन्धक निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत

करेगा।]

**419.** कोई उम्मीदवार प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिये साथ-साथ निर्वाचन लड़ने के लिये अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम निर्देशन पत्र वैध न पाये जाये तो उस केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिये अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लेना होगा। ऐसी वापसी के लिये निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे तो उसके समस्त नाम निर्देशन अवैध हो जायेंगे।

**420** [2][* * *]

[3][**421.** प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिये या मत पत्रों की गणना के लिये नियुक्त किया गया हो ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो इसे प्राप्त करने के लिये विधिक रूप से अधिकृत न हों नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

[4][**422.** नियम 421 के उल्लंधन में किया गया कोई कृत्य या जानकारी देना या प्रकट करना अपराध समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके विरूद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाये कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो

सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।]

5[**423.** (1) कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अधिकारी है या निर्वाचन कराने के लिये नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह◌ास होता हो।

(2) उपनियम (1) के उल्लंधन में किया गया कोई आचरण या कृत्य अपराध समझा जायेगा और सिद्ध होने पर जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है दण्डनीय होगा।

---

1. नियम 416, 417, 418 अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

2. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा नि◌काला गया।

3. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा बदला गया।

4. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा नि◌काला गया।

5. अधिसूचना संख्या-2700/49-1-94 -7(1)-94 दिनांक 15.7.94 द्वारा निकाला गया।

424. 1[* * * ]

425. 2[* * * ]

2[426. प्रत्येक निर्वाचन में मतदान समाप्त होने के पश्चात् मत पत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 444 में विहित रीति से करायी जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वे गणना के समय उपस्थित रहे।

427. 4[* * *]

428. 5[* * *]

*भाग II*

## 6[सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन,

7[429. अधिनियम के उपबन्ध और अधिनियम के अधीन जारी किये गये नियम और आदेश प्रत्येक पुनर्मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मूल मतदान के लिये लागू होते है।]

8[430. यदि निर्वाचन के पश्चात् किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के

निर्वाचित सदस्यों की संख्या विहित गणपूर्ति से कम पाई जाती है तो रिक्त स्थानों के लिये निर्वाचन यथासम्भव कराये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 444 ख के अधीन सभापति, उप सभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये आहूत बैठक की गणपूर्ति (कोरम) मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होगी।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियम 393 के उपनियम (1) के अधीन आरक्षित स्थान से भिन्न अन्य किसी एक या अधिक स्थानों के लिए कोई विधिमान्य नामांकन प्राप्त न हो, तो ऐसी रिक्ति नियम 450 और 451 के अधीन दी गयी रीति से सहयोजन द्वारा भरी जायेगी।]

431. 9[* * *]

भाग-3 समामेलन, विभाजन, अवक्रान्ति तथा अन्य

आकस्मकतओ की दशा मे